भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 23 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 3 सितम्बर, 2021

विषयः अधिसूचना सं. 20 / 2015–20 दिनांक 24.08.2021 के क्रम में आयात के पत्तनों को शामिल करना।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 20 / 2015–20 दिनांक 24 अगस्त, 2021 के पैरा 3 के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

न्हावा शेवा (आईएनएनएसएआई) पत्तन और एलसीएस पेट्रापोल (आईएनपीटीपीबी) के मौजूदा (2) पत्तनों के अतिरिक्त निम्नलिखित (3) पत्तनों को शामिल किया जाता है–

i. मुम्बई समुद्री पत्तन (आईएनबीओएमआई)
ii. तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आईएनटीयूटीआई)
iii. विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन (आईएनवीटीजेडआई)

2. अधिसूचना सं. 20 / 2015–20 दिनांक 24 अगस्त, 2021 के तहत यथा अधिदिष्ट अन्य सभी शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

अधिसूचना का प्रभावः अधिसूचना सं. 20 / 2015–20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत आयात को अनुमत करने के लिए मुम्बई समुद्री पत्तन (आईएनबीओएमआई), तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आईएनटीयूटीआई), विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन (आईएनवीटीजेडआई) के पत्तनों को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
03/09/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

[फा.सं. एम–5012 / 300 / 2002 / पीसी–2(ए) / पार्ट–VI / ई–9019 से जारी]